बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति।

द्वितीय अपील

श्री निरंजन कुमार, चयनमुक्त प्रखंड साधन सेवी,
जिला– गया द्वारा उन्हें चयनमुक्त किये
जाने के विरूद्ध अपील की गयी है।

आदेश

संख्या–म०भो० / को०–ES/01/2014 – 641 दिनांक 10/4/18

श्री निरंजन कुमार, पदमुक्त प्रखंड साधन सेवी, जिला– गया के द्वारा निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के द्वारा उनका अनुबंध समाप्त किये जाने के विरूद्ध प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के समक्ष हस्ताक्षरित अपील आवेदन दाखिल किया गया। उक्त अपील आवेदन के आलोक में दिनांक–07.04.2018 को मामले की सुनवाई अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में की गई, जिसमें आवेदक श्री निरंजन कुमार तथा उनके अधिकृत अधिवक्ता एवं निदेशक, (म.भो.यो.) भी उपस्थित हुए। उभय पक्षों को सुना गया।

2. मामला यह है कि, श्री निरंजन कुमार के विरूद्ध माह मार्च 2016 में शिकायती पत्र निदेशालय (म.भो. यो.) में प्राप्त हुआ कि श्री कुमार के द्वारा एक ही समय में दो सरकारी विभाग यथा– **मध्याह्न भोजन योजना**, गया में प्रखंड साधन सेवी के पद पर एवं **DRDA बेतिया, जिला– प० चम्पारण** में पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्य करते हुए दोनों कार्यालयों से मानदेय प्राप्त किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता है।
3. प्राप्त शिकायत के आलोक में निदेशालय (म.भो.यो.) के विभिन्न पत्रांक– 576 दिनांक–01.04.2016, **स्मार पत्र** संख्या 581 दिनांक– 01.04.2016 एंव स्मार पत्र संख्या 704 दिनांक– 26.04.2016 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया को वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने का निदेश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी से जबाव अप्राप्त रहने की स्थिति में निदेशालय (म.भो.यो.) के पत्रांक– 864 दिनांक– 17. 05.2016 एवं **स्मार पत्र** संख्या 927 दिनांक– 25.05.2016 के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। निदेशालय स्तर से स्पष्टीकरण किये जाने के पश्चात् श्री कुमार ने दिनांक– 25.05.2016 को **DRDA बेतिया, जिला– प० चम्पारण** को दिनांक– 01.04.2008 से 22.02.2012 तक प्राप्त किये गये मानदेय की कुल राशि 1,48,461 / –(एक लाख अड़तालिस हजार चार सौ एकसठ मात्र) रूपया डी. डी. के माध्यम से वापस की गई, **जबकि श्री कुमार दिनांक– 26.04.2008 से गया जिलान्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रहे है।** श्री कुमार के द्वारा अपने स्पष्टीकरण के जबाव में यह स्वीकार किया गया है कि, वे **DRDA बेतिया, जिला– प० चम्पारण** में पंचायत रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत थे। उप विकास आयुक्त, प० चम्पारण का दिये गये आवेदन में श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दिनाक– 01.04.2008 से 22.02.2012 तक की कार्य अवधि का मानदेय वापस किया गया।
4. सुनवाई के क्रम में श्री निरंजन कुमार एवं उनके अधिवक्ता के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि एक साथ दो जिलों में दो विभिन्न विभाग में यथा– **DRDA बेतिया, जिला– प० चम्पारण** में पंचायत रोजगार सेवक एवं **मध्याह्न भोजन योजना**, गया में प्रखंड साधन सेवी के पद पर कार्यरत थे, परन्तु श्री कुमार के द्वारा दिनांक– 01.04.2008 से 22.02.2012 तक **DRDA बेतिया, जिला– प० चम्पारण** से प्राप्त किये गये मानदेय की राशि को उनके द्वारा दिनांक 25.05.2016 को डी.डी. के माध्यम से वापस कर दिया गया। अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि श्री कुमार से बिना स्पष्टीकरण मांगे ही उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। निदेशक, म०भो०यो० के द्वारा बताया गया कि निदेशालय पत्रांक– 864 दिनांक– 17.05.2016 एवं **स्मार पत्र** संख्या 927 दिनांक– 25.05.2016 के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के

द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव दिनांक– 27.05.2016 को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के द्वारा स्वीकार किया गया कि, वे **DRDA बेतिया, जिला– प० चम्पारण** में पंचायत रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत थे। श्री कुमार से स्पष्टीकरण किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा **DRDA बेतिया, जिला– प० चम्पारण** से प्राप्त किये गये मानदेय की राशि को दिनांक 25.05.2016 को डी.डी. के माध्यम से वापस की गई, जिसका साक्ष्य भी श्री कुमार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार के द्वारा दोनों विभाग को धोखा में रखकर दोनों ही जगह अपनी उपस्थिती दर्ज करायी गई एवं दोनों ही कार्यालय से सरकारी राशि का लाभ प्राप्त किया गया।

5. अभिलेखों के अध्ययन एवं उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट है कि श्री कुमार के द्वारा एक ही समय में दो सरकारी विभागों में धोखाधड़ी से कार्यरत रहते हुए मानदेय के रूप में सरकारी राशि प्राप्त किया गया। श्री कुमार के मनरेगा में कार्य करने के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा कार्यालय, लौरिया के पत्रांक– 58 दिनांक– 24.09.2014 में स्पष्ट उल्लेखित है कि श्री कुमार के द्वारा पंचायत रोजगार सेवक के पद पर जिला में योगदान 28.08.2007 को किया गया एवं प्रखंड में योगदान दिनांक– 08.11.2007 को किया गया एवं श्री कुमार को दिनांक– 28.08.2007 से 22.02.2012 तक का मानदेय भुगतान किया गया है। तदोपरान्त निदेशालय (म.भो.यो.) कार्यालय आदेश संख्या– 1013 दिनांक– 07.06.2016 के द्वारा कार्रवाई करते हुए श्री निरंजन कुमार को चयनमुक्त किया गया। साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, गया को श्री कुमार के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, गया के द्वारा निदेशालय स्तर से प्राप्त निदेश के आलोक में उनके कार्यालयी पत्रांक– 310 दिनांक– 31.03.2017 द्वारा दिनांक– 01.04.2017 को श्री कुमार के विरूद्ध स्थानीय थाना में कांड संख्या– 86/17 दिनांक– 01.04.2017 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी।

6. सुनवाई के क्रम में आये तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि अपीलकर्त्ता श्री निरंजन कुमार के द्वारा एक ही समय में दो सरकारी विभागों में दो अलग–अलग जिलों में धोखाधड़ी से कार्यरत रहते हुए मानदेय के रूप में सरकारी राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार श्री निरंजन कुमार का कृत वित्तीय अनियमितता को प्रमाणित करता है। अतः श्री निरंजन कुमार का अपील अस्वीकार किया जाता है। श्री निरंजन कुमार के चयनमुक्ति के संबंध में निदेशालय (म.भो.यो.), बिहार पटना का कार्यालय आदेश संख्या– 1013 दिनांक– 07.06.2016 यथावत् रहेगा।

आदेश की एक प्रति अपीलकर्त्ता को भेजी जाय।

10/4/18

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 641 /दिनांकः– 10/4/18

प्रतिलिपिः– (1) अपीलकर्त्ता श्री निरंजन कुमार, जिला– गया को सूचनार्थ।
(2) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(3) जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
(4) जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

10/4/18

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।